संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण - 396220
ईमेल: fieldpublicitydaman@gmail.com

सं: सूचना एवं प्रचार/दमण/प्रेस_विज्ञप्ति/2024-25/ 259

दिनांक: 28/10/2024

# संघ प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत विशेष भत्तों की घोषणा

**(दमण, 28 अक्टूबर 2024)**। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी के कुशल नेतृत्व में श्रमिकों के अधिकारों और उनके कार्य के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, श्रम और रोजगार विभाग ने आज न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत विशेष भत्तों की घोषणा की है। माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी का निरंतर प्रयास रहा है कि विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके तथा उनके लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के अलावा अब विशेष भत्तों का भी लाभ प्राप्त होगा। यह भत्ते महंगाई, जीवन स्तर की लागत, और श्रमिकों के कार्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं। इसके माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहारा प्रदान किया जाएगा और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। यह विशेष भत्ता 01 अप्रैल 2024 की तिथि से अमल में लाया जाएगा।

## प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देय दरें

| रोजगार का वर्ग | न्यूनतम मजदूरी देय दरें (प्रति दिन) | विशेष भत्ता (प्रति दिन) | कुल न्यूनतम मजदूरी देय (प्रति दिन) |
|---|---|---|---|
| अकुशल / Unskilled | 441.00 | 35.00 | 476.00 |
| अर्द्ध कुशल / Semi - Skilled | 452.00 | 35.00 | 487.00 |
| कुशल / Skilled | 462.00 | 35.00 | 497.00 |

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
**समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण - 396220**
**ईमेल:** ***fieldpublicitydaman@gmail.com***

गौरतलब है कि माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी के मार्गदर्शन में संघ प्रदेश प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक श्रमिक का सम्मान बना रहे और वह अपने कार्य से संतोष प्राप्त कर सके। श्रमिकों को उनके अधिकारों का लाभ दिलाना संघ प्रदेश प्रशासन की की हमेशा से प्राथमिकता रहा है, और यह पहल उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक ठोस कदम है।

**(प्रियांशु सिंह),**
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी /
उप समाहर्ता (मुख्यालय),
दमण।